इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 5 दिसम्बर, 2017 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------3
विनियामकों के कथन----------5
नयी नियुक्तियाँ ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 6
विदेशी मुद्रा **----------6**
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार **----------8**
नयी पहलकदमी ----------12
बाजार की खबरें ----------13

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

वरिष्ठों और भिन्न रूप से समर्थ लोगों के लिए बैंकिंग को सरल बनायें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से "वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न रूप से समर्थ लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं'" प्रदान करने से संबन्धित उसके अनुदेशों को दिसम्बर, 2017 तक कार्यान्वित करने के लिए कहा है। तदनुसार बैंकों को शाखाओं मेँ भिन्न रूप से समर्थ लोगों तथा 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित काउंटर खोलना होगा। उन्हें मूल बैंकिंग सुविधाएं उनके दरवाजे पर प्रदान करनी होंगी तथा पेंशन का भुगतान करने वाली किसी भी शाखा मेँ जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उनकी प्रणालियों को तुरंत अद्यतन करना होगा। दरवाजे पर सुविधाओं मेँ रसीद देकर नकदी एवं लिखत संग्रहीत करना, खाते से आहरण किए जाने पर नकदी की सुपुर्दगी, मांग ड्राफ्टों की सुपुर्दगी, अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेजों तथा जीवन प्रमाणपत्र का प्रस्तुतन शामिल हैं। बैंकों को अनुरोध किए जाने पर बचत बैंक खातों मेँ प्रति वर्ष 25 चेक पन्ने नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यह निदेश भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष ऐसे दृष्टांत उपस्थित होने की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है जब बैंक वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न रूप से समर्थ लोगों को शाखाओं में अपनी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हैं। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और एटीएमों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहा है।

चूककर्ताओं को दबावग्रस्त आस्तियां खरीदने से रोकें

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अधीन दिवालियापन प्रक्रिया की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों से इस बात के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है कि इरादतन चूककर्ताओं को उन्हीं दबावग्रस्त आस्तियों को पुन: खरीदने से रोक दिया जाए। बैंकों को इस बात के प्रति सजग रहना होगा कि ऐसे चूककर्ता इस सुविधा का अनुचित लाभ न उठाएँ तथा प्रणाली में पुन: प्रवेश न करने पाएँ।

चेक बुकें वापस लेने की कोई योजना नहीं

हाल ही की मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया हे कि केंद्रीय सरकार डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से चेक बुक सुविधा वापस लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारिताओं से नामों में "बैंक" शब्द का प्रयोग न करने के लिए कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी सोसाइटियों से उनके नामों मे "बैंक" शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए कहा है, क्योंकि इससे बैंककारी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होता है। शीर्ष बैंक के ध्यान में यह भी आया है कि कुछेक सहकारी सोसाइटियाँ जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर रही हैं, जिससे यह ध्वनित होता है कि वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये बैंकिंग व्यवसाय करती हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : बाह्य स्रोत का उपयोग करते समय सुरक्षोपाय लागू करें

4

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात एनबीएफसीज से उनके द्वारा बाहर से करवाए जाने वाले कार्यकलापों के लिए समुचित सुरक्षोपाय करने के लिए कहा है। ये सुरक्षोपाय सेवा-प्रदाता की सक्षमता, ग्राहक की गोपनीयता एवं सुरक्षा, एजेन्टों के उत्तरदायित्वों तथा बाहर से करवाए जाने वाले कार्यकलापों पर निगरानी एवं नियंत्रण से संबन्धित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे बाह्य स्रोत उपयोग की अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करें तथा उन्हें दो माह के भीतर "जोखिमों का प्रबंधन करने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाएँ बाहर से प्राप्त किए जाने" से संबन्धित आचरण संहिता के बारे में उसके निर्देशों के अनुरूप बनायें।

सरलीकृत बचाव व्यवस्था सुविधा 1 जनवरी से

भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय दर जोखिम को प्रतिरक्षित करने के लिए मानदंडों को सरल बना दिया है जिसके तहत कंपनियाँ प्रलेखन संबंधी आवश्यकताओं को कम करके सकल आधार पर 30 मिलियन अमरीकी डालर तक का एक्सपोजर उठा सकती हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) के अधीन अनुमेय निवासी एवं अनिवासी कंपनियों (व्यक्तियों को छोडकर) के लिए संविदाकृत अथवा प्रत्याशित लेनदेनों पर विनिमय दर जोखिम को प्रतिरक्षित करने की यह सुविधा 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बाँड़ों की मंदड़िया बिक्री के नियम सरल बनाए

भारतीय रिजर्व बैंक ने कल्पित मंदडिया बिक्री करने वाले बाजार के सहभागियों को पुनर्खरीद (repo) बाजार से प्रतिभूतियाँ उधार लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। बाजार के दबाव (मंदड़िया तंगी जैसी) अपवादजनक स्थितियों में मंदडिया विक्रेता कंपनियाँ स्वयं अपने परिपक्वता तक धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध/ व्यापार के धारित पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियाँ प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, इनका समुचित रूप से हिसाब रखा जाना आवश्यक है तथा इन्हें लेनदेनों का निरूपण आंतरिक उधार के

रूप में करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी आनुमानिक मदड़िया बिक्रियों का बाजार में एकमुश्त खरीद द्वारा समापन किया जाना आवश्यक है। यह

सुनिश्चित करें कि इसप्रकार उधार ली गई प्रतिभूतियों को उनके बही-मूल्य में किसी परिवर्तन के बिना उसी पोर्टफोलियो में वापस लाया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की शेयरधारिता सीमा बढ़ाई

इसके पूर्व आस्ति पुननिर्माण कंपनियों (ARCs) को पुनर्निर्माण कंपनियों को पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन - पश्चात इक्विटी धारिता के संबंध में 26% की सीमा का पालन करना होता था। अब, आस्ति पुननिर्माण कंपनियों को 26% से अधिक की धारिता रखने में समर्थ बनाने हेतु इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है। शेयधारिता की सीमा उक्त क्षेत्र के लिए अनुमेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा के अनुसार होगी।

विनियमकों के कथन

बैंकों ने ऋण मूल्य-निर्धारण सूत्र में तदर्थ विचलन किए

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ विरल आचार्य ने हाल के एक वक्तव्य में यह कहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में कार्य के परिमाण की दृष्टि से दो से तीन तिमाहियों का अंतराल और मुद्रास्फीति के संबंध में तीन से चार तिमाहियों का अंतराल मौजूद होता है, जिसका प्रभाव आठ से बारह तिमाहियों तक मौजूद रहता है। नीतिगत कार्रवाइयों के प्रेषण के विविध चैनलों में ब्याज दर चैनल का सह-संबंध सर्वाधिक सुदृढ़ होता है। प्रेषण में अंतराल का अर्थ यह होता है कि मौद्रिक नीति का प्रगामी होना तथा अपेक्षित उत्पादन एवं मुद्रास्फीति की घटनाओं के प्रति अनुक्रियाशील होना आवश्यक है। उत्पादन एवं मुद्रास्फीति का प्रत्याशित विकास अनिश्चित होता है, जिससे प्रेषण का विश्लेषण अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, फलत: भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णयन की जटिलता और बढ़ जाती है।

नयी नियुक्तियाँ

6

नाम	पदनाम/संगठन
डा॰ ऊर्जित पटेल, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	**भारतीय निपटान बैंक (BIS) वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड में नियुक्त**

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
आईडीएफसी बैंक	मोबीक्विक	मोबीक्विक एप में अंतर्निहित एक सह-ब्रांडयुक्त वर्चुअल वीसा पूर्व-प्रदत्त कार्ड आरंभ करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 अक्तूबर, 2017 के दिन बिलियन रुपए	29 अक्तूबर, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	25,936.9	4,00,741.8
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	24,354.2	3,76,304.7
(ख) सोना	1,338.7	20,666.9
(ग) विशेष आहरण अधिकार	96.9	1,497.4
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	147.1	2,272.8

दिसंबर, **2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें**

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.76600	1.92330	2.02720	2.०9560	2.150600

जीबीपी	0.68510	0.8784	0.9983	1.0860	1.1648
यूरो	-0.23000	-0.160	-0.020	0.105	0.243
जापानी येन	0.03880	0.056	0.073	0.090	0.115
कनाडाई डालर	1.80000	1.789	1.892	1.960	1.999

आस्ट्रेलियाई डालर	1.81800	1.910	2.010	2.260	2.350
स्विस फ्रैंक	-0.59500	-0.506	-0.371	-0.280	-0.173
डैनिश क्रोन	-0.12960	0.0421	0.0990	0.2492	0.4030
न्यूजीलैंड डालर	2.00340	2.155	2.310	2.457	2.594
स्वीडिश क्रोन	-0.43600	-0.238	-0.015	0.170	0.370
सिंगापुर डालर	1. 33500	1.505	1.660	1.780	1.890
हांगकांग डालर	1.42000	1.690	1.870	1.990	2.080
म्यामार	3.68000	3.720	3.750	3.80०	3.850

शब्दावली

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक ऐसी विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था होती है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अनर्जक आस्तियां अथवा अशोध्य आस्तियां खरीदती है, ताकि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने तुलनपत्रों को साफ-सुथरा बना सकें।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आधार अंक

आधार अंक एक प्रतिशत का सौवाँ अंश होता है। 1 आधार अंक से आशय है 0.01%। इसका उपयोग ब्याज दर/प्रतिफल को मापने हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर, 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	**प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण**	**14 से 16 दिसंबर, 2017 तक**	**दिल्ली**

2	**प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण**	**26 से 28 दिसंबर, 2017 तक**	**कोलकाता**
3	**प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा मेँ शिक्षण**	**18 से 20 दिसंबर, 2017 तक**	**चेन्नै**
4	**प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परिक्षोपरांत प्रशिक्षण**	**22 से 24 दिसम्बर, 2017 तक और 29 से 31 दिसंबर, 2017 तक**	**मुंबई**

संस्थान समाचार

बैंकों मेँ क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास ऋण प्रबंधन, खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और लेखांकन जैसे परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों मेँ उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए।

कालांतर मेँ भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। उक्त दल द्वारा अपनी रिपोर्ट मार्च, 2017 में प्रस्तुत की गई, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा सदस्य बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा ऊपर वर्णित क्षेत्रों मेँ प्रमाणन प्रदान करने की पात्र संस्थाओं के नाम सूचित किए थे।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैँस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार मेँ से तीन क्षेत्रों मेँ उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र मेँ उपलब्ध कराये

जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है।

9

अभ्यर्थियों को ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान ऋण प्रबंधन पर इसके नीचे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार 74 केन्द्रों पर परीक्षाएँ आयोजित करेगा :

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	पंजीकरण की खुली अवधि
प्रमाणित ऋण अधिकारी	24-02-2018	12-01-2018 से 30-01-2018 तक
	24-03-2018	09-02-2018 से 27-02-2018 तक

कृपया परीक्षा पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

"बैंकिंग चाणक्य" प्रश्नमंच

"बैंकिंग चाणक्य" भारत में कहीं भी स्थित वर्तमान में किसी भी बैंक में नियोजित सभी कर्मचारियों के लिए खुली एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता है। पहले प्रारम्भिक आनलाइन दौर में सम्पूर्ण राष्ट्र के बैंकरों से अच्छी सहभागिता परिलक्षित हुई। बुनियादी स्तर के अंचलीय आयोजनों के समावेश वाले दूसरे दौर का आयोजन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई में किया जा रहा है। प्रश्न मंच का तीसरा भाग जो राष्ट्रीय स्तर का ऐसा आखिरी आयोजन है जिसमें प्रत्येक अंचल से विजेता टीमें भाग लेंगी, 12 जनवरी, 2018 को मुंबई मे आयोजित किया जाने वाला है। इस भव्य आखिरी आयोजन को राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया जाने वाला है।

बैंकरों का सम्मेलन और लोकसंपर्क कार्यक्रम

संस्थान ने बैंकिंग भ्रातृसंघ की सेवा करते हुये 89 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा वह अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर को मनाने के लिए तथा अपने सदस्यों तक अधिक सार्थक रीति से पहुचने के लिए संस्थान ने टियर 2 और टियर 3 वाले शहरों में "बैंकरों के

सम्मेलन और लोकसंपर्क कार्यक्रमों" का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम अब तक हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुबनेश्वर और कोच्चि में संचालित किए जा चुके हैं। बैंकरों के सम्मेलन पटना, रांची और गुवाहाटी में क्रमश: 5, 6 और 7 दिसंबर को आयोजित किए गए। एक लोकसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन 8 दिसम्बर, 2017 को गुवाहाटी में किया गया।

34वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान

संस्थान 34वें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान का आयोजन 18 दिसंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में कर रहा है। इस बार यह व्याख्यान भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष डा॰ एम॰ एस॰ साहू द्वारा दिया जाएगा तथा व्याख्यान का विषय है "बैंकिंग आन गवरनैन्स : फ़्रीडम फ्राम एंड फ़्रीडम टू"।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमाणित ऋण परामर्शी (CCC) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 जुलाई, 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक भागीदारी
करार किया। प्रमाणित ऋण परामर्शी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा संचालित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों पर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर तथा उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित समुचित सावधानी जांच पूरी कर लेने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणित ऋण परामर्शी के रूप में

एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर

पहली परीक्षा जनवरी, 2018 में आयोजित की जाएगी।

आभासी कक्षा में समाधान

संस्थान ने आभासी कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। इसे शीघ्र ही परिचालनीय बनाया जाएगा। प्रारम्भ में, ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के सक्षमता निर्माण कार्य के अधीन अभिज्ञात पाठ्यक्रमों में से एक है, आभासी कक्षा में समाधान विधि का उपयोग करते हुये उपलब्ध कराया जाएगा। पहली आभासी कक्षा में समाधान की शुरुआत 9 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2017 तक के पाठ्यक्रम में की गई।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण 8 मई, 2017 से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2018 के आगामी अंक के लिए निर्धारित विषय-वस्तु है : "बैंकों में साइबर सुरक्षा"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

12

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1. प्रकाशन स्थल : मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता : मासिक
3. प्रकाशक का नाम : डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,

किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम : डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा,
मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.2
6.
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017
14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, नवंबर, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
85
80
75
70
65
60 अमरीकी डालर
55 जीबीपी
50 यूरो
येन
जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

9
8
7
6
5
4
3
2

0

मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

34000

33000

15

32000

31000

30000

29000

28000

27000

26000

जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, **सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवम्बर, 2017**

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11

10.5

10

9.5

9

8.5

8

मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन दिसंबर, 2017